राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 150/2013/जोधपुर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत–डी, जोधपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स बी.बी.इलेक्ट्रिकल्स
सरदारपुरा, जोधपुर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी.पी.ओझा,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
अनुपस्थित .....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 18/09/2017

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जोधपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के अपील संख्या 47/आरवेट/जेयूडी/2011–12 में पारित किये गये आदेश दिनांक 27.08.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–डी, जोधपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2009–10 के लिये राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 24 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 12.01.2012 सपठित वेट अधिनियम की धारा 33 के तहत पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी के कर निर्धारण आदेश दिनांक 12.01.2012 में पारित आदेश के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जाने पर कर निर्धारण आदेश में विवादित बिन्दुओं पर निर्णय लिया गया है, कर निर्धारण वर्ष 2009–10 में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विवरण–पत्रों के विलम्ब से प्रस्तुत करने के अपराध में वेट अधिनियम की धारा 58 के तहत आरोपित शास्ति एवं ब्याज को अपीलीय आदेश में इस आधार पर अपास्त किया गया था कि राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 15.09.2011 के अधीन प्रत्यर्थी व्यवहारी पात्र होने से एवं उनके द्वारा अधिसूचना में अंकित समयावधि दिनांक 30.09.2011 तक समस्त देय कर एवं विवरण–पत्र प्रस्तुत होने की स्थिति में शास्ति एवं ब्याज से मुक्ति प्राप्त थी अतः उस आधार पर अपीलीय आदेश में इसे अपास्त किया गया था।

3. अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय आदेश विधिसम्मत नहीं है अतः कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को पुनर्स्थापित किया जावे, परन्तु अपीलीय अधिकारी के आदेश में कोई त्रुटि होने का कोई तर्क या कथन नहीं किया गया।

लगातार.....2

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

5. एकपक्षीय बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. अपीलीय आदेश में उक्त बिन्दुओं पर जो निर्णय दिया गया है, उसमें किसी भी तरह की त्रुटि नहीं है क्योंकि अपीलीय अधिकारी द्वारा बिन्दुओं पर प्रकरण को कर निर्धारण अधिकारी को पुनः आदेश हेतु प्रतिप्रेषित किया है जिसमें घोषणा पत्र प्रस्तुत करने का समय दिया गया है एवं अधिक जमा राशि को संग्रहित होने अथवा नहीं होने की जांच के पश्चात् आदेश पारित करने का निर्देश दिया है वह पूरी तरह विधिसम्मत है। इसके अलावा प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा समस्त देय कर एवं विवरण–पत्र दिनांक 30.09.2011 तक कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिये गये थे ऐसी स्थिति में राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.12(92)एफडी/टैक्स/2011–46 दिनांक 15.09.2011 के अनुसार समस्त शास्तियों एवं ब्याज स्वतः वेव हो गये थे, उस अनुसार अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण आदेश में आरोपित शास्ति एवं ब्याज को अपास्त किया गया है जो पूरी तरह विधिसम्मत है।

7. फलतः अपीलीय अधिकारी के आदेश में कोई त्रुटि नहीं होने से अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है

निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य